प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

सेवा मे,

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

पत्रॉक/विविध/ 3432-43 /2021-22, दिनॉक 31 जुलाई, 2021

विशयः– **कोरोना लॉकडाउन के उपरान्त विद्यालयों को खोले जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विशयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड में 02 अगस्त 2021 से सरकारी और निजी स्कूल पढाई के लिए सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। जिस हेतु पूर्व में जारी एस0ओ0पी0 का पालन करना होगा। शनिवार व रविवार को जिला प्रशासन, नगर निकाय व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सैनिटाइजेशन व फागिग कराई जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों, कर्मचारियों और भोजनमाताओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी स्कूल प्रबन्धन और भोजनमाताओं की होगी। टीकाकरण से वंचित कार्मिकों की सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलबध कराये जाने के निर्देश हैं।

शिक्षा सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में अवगत कराना है कि ज्यादा छात्र संख्या वाले विद्यालय दो पालियों में संचालित होंगें। जिसमें छात्र–छात्राओं को सम–विशम रोल नम्बर के आधार पर विद्यालय में बुलाया जायेगा। कम छात्र संख्या वाली संस्थाओं में एक पाली में कक्षाएं संचालित की जायेंगी। स्कूलों में प्रवेश और छुट्टी के समय सभी कक्षाओं को एक साथ नही छोडा जायेगा। छात्रों को लाने ले जाने के लिए संचालित वाहनों में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कराया जायेगा। विद्यालयो द्वारा आन्तरिक एस0ओ0पी0 तैयार की जायेगी। आवासीय व डे–बोर्डिंग स्कूलों में प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ का टीकाकरण कराना होगा, जिस हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य जवाबदेह होंगे। आवासीय परिसर में रहने वाले छात्रों व स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्राप्ति उपरान्त ही विद्यालय में प्रवेश कराया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना होगा।

कोविड–19 प्रोटोकाल के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबन्धन विभाग की ओर से समय–समय पर जारी एस0ओ0पी0 का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबन्धन विद्यालयों को खोलने से पूर्व सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल स्थानों समेत सभी स्थानों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्केनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य होगी। जर्जर कक्षाओं में शिक्षण कार्य नही कराया जायेगा। बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था व स्वच्छता करा विशेश ध्यान रखा जाये। सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग का नियमित पालन किये जाने हेतु विद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

कोरोना संकमण के साथ–साथ डेंगू से बचाव के उपाय भी करने होंगे। स्कूल अवधि में छात्रों को पूरी बाजू के पैंट–शर्ट, सलवार–कमीज पहनकर उपस्थित होने सम्बन्धी निर्देशित किया जाये।

तद्कम निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
31/7/2021
मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ /2021-22, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः–
1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, मा0शि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर के सादर अवलोकनार्थ।
4– अपर निदेशक, मा0शि0, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned By Scanner Go